

**भिलाईनगर/** महापौर परिषद के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के समक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधारित एजेंडा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रमुख रूप से कचरो का पृथक्करण एवं गीले कचरों का जैविक खाद के संबंध में प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत किया गया। परिषद ने चर्चा के पश्चात् कहा कि पर्यावरण बोर्ड से अनुमति लेकर जहाँ पर उपक्रम स्थापित किया जायेगा वह उपयुक्त है कि नहीं कि विस्तृत जानकारी के साथ अगले एम0आई0सी0 में प्रस्तुत करें। प्रस्ताव के रूप में रुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत वार्ड-49 बी0एस0पी0 क्षेत्र सेक्टर-02 सड़क 01 के सामने फुटबाल एवं बास्केटबाल ग्राउण्ड निर्माण कार्य से संबंधित था जिसपर परिषद ने प्रशासकीय स्वीकृति होने के पश्चात् पुनः प्रस्ताव तैयार कर विचारार्थ रखने को कहा। वर्ष 2017-18 में निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित उद्यानों के रखरखाव, संधारण हेतु श्रमिक/माली कार्य हेतु प्राप्त निविदा के आधार पर कार्य करवाने के लिए निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर 51 लाख 24497 रुपये था जिसको स्वीकृति प्रदान की। प्रस्ताव के रूप में कम्प्युटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति के लिए था जिसमें कम्प्युटर ऑपरेटरों किये जा रहे कार्य से संबंधित पूर्ण जानकारी के साथ अगले एम0आई0सी0 के साथ प्रस्तुत करने को कहा। नगर पालिक निगम, भिलाई की सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक सीनियर गार्ड, सहायक सुरक्षा अधिकारी एवं 104 सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने को था जिसे विस्तृत जानकारी के साथ पुरानी फाईल के साथ संलग्न कर एम0आई0सी0 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने को कहा। एम0आई0सी0 में दुर्गा प्रसाद साहू, सुभद्रा सिंह, डॉ. दीवाकर भारती, नीरज पाल, जोहन सिन्हा, सोसन लोगन, नरेश कोठारी, सुशीला देवांगन, केशव बंधोर, सुर्यकान्त सिन्हा, साकेत चन्द्राकर, सदीरन बानो, आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में अधीक्षण अभियंता आर0के0 साहू, जोन आयुक्त प्रशांत शुक्ला, टी0के0 रणधिवे, स्वास्थ्य अधिकारी अशोक पहाड़िया आदि उपस्थित रहें।

जन सम्पर्क अधिकारी

